GOVT. ENGINEERING COLLEGE JHALAWAR

Sunel Road, Jhalrapatan,Jhalawar-326023
E-Mail:-govtecj@gmail.com
Telfax: 07432-242814, 242812 (O)

Advt. No Gecj/16-17/Estt./825 Date:08/09/2016

निविदा सूचना

महाविद्यालय परिसर में केन्टीन संचालन हेतु पंजीकृत संस्थाओं से दिनांक 28/09/2016 (दोपहर 12 बजे तक) निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gecj.ac.in से डाउनलोड़ कर जमा करवाया जा सकता है।

प्राचार्य

GOVT. ENGINEERING COLLEGEJHALAWAR

Village:Chandlai, Sunel Road, Tehsil-Jhalrapatan,Jhalawar-326023

E-Mail:-govtecj@gmail.comTelfax: 07432-242814, 242812(O)

Advt. No. Gecj/16-17/Estt./825 Date 08/09/2016

निविदा सूचना

महाविद्यालय परिसर में केन्टीन संचालन हेतु पंजीकृत एवं योग्य/अनुभवी व्यक्तियों/संस्थाओं से निविदाए आमंत्रित की जाती है–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क राशि रू.		निविदा प्राप्त, जमा करने एवं खोलने की दिनांक
			नगद द्वारा	डाक द्वारा	
01	केन्टीन संचालन	1300.00	200.00	250.00	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 28/09/2016 (दोपहर 11 बजे तक) एवं जमा करने की अन्तिम दिनांक 28/09/2016 दोपहर 12:00 बजे तक होगी एवं प्राप्त निविदाए उसी दिन 1:30 बजे खोली जाएगी।

निविदादाता को किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थानों या समकक्ष संस्थानों में कार्य अनुभव होना आवश्यक है। निविदादाता को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है । निविदा प्रपत्र महाविद्यालय से निविदाओं के लिए बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट **प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़** के नाम भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाप्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gecj.ac.in से डाउनलोड़ कर निविदा शुल्क बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ भी जमा करवाया जा सकता है।

प्राचार्य

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

ग्रामः चन्दलाई, सुनेल रोड, तहसीलः झालरापाटन, जिलाः झालावाड़ (राज.) पिन कोड़ः 326023

टेलीफैक्स नम्बरः 07432.242814 फोन नं. 07432–242812 बेवसाइटः www.gecj.ac.in

महाविद्यालय मे केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र

कार्यालय उपयोग
मूल्य रू. 200/– मात्र
रसीद सं..............................
दिनांक................................
हस्ताक्षर ....

निविदा संख्या....................................... दिनांक ..../........../20......

1. निविदादाता का नाम :..

2. निविदादाता का पता :...

   ....

3. निविदादाता का फोन न. :...

4. निविदा शुल्क (डिमाण्ड ड्राफ्ट / रसीद संख्या ....व दिनांक ....)

5. धरोहर राशि रू............................. (अक्षरे रू...) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या............................... दिनांक ..../......../20......... जारी कर्ता बैंक व ब्रांच का नाम .... संलग्न / जमा करवा दिया गया है ।

6. केटिंन संचालन हेतु मै/हम मासिक किराया रू .... (अक्षरे रू... ....) प्रस्तावित करते है । मेरे नाम पर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभुति राशि एवं प्रस्तावित मासिक किराये के आधार पर तीन माह का अग्रिम किराया राशि तीन दिवस में जमा करवा दूगा । इसके अलावा प्रत्येक माह का मासिक किराया उसी माह की 10 तारीख तक जमा करवा दूगा।

7. इन सेवाओं की आपूर्ति लिखित आदेश प्राप्ति से .... दिवस की अवधि में कर दी जायेगी ।

8. यह अनुबंध दर................................ दिवस की अवधि के लिये प्रभावित है । इस अवधि में पारस्परिक सहमति से अभिवृद्धि की जा सकती है ।

9. निविदादाता द्वारा दस्तावेज की प्रतिलिपि संग्लन किये जाते है।

   (i) खाद्य वस्तु विक्रय पंजीयन प्रमाण पत्र

   (ii) आयकर विभाग का पेन कार्ड

   (iii) वैट पंजीयन प्रमाण पत्र

   (iv) अनुभव प्रमाण पत्र

10. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये है इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ तथा पालन करूंगा ।

दिनांक : **(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)**

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

ग्रामः चन्दलाई, सुनेल रोड, तहसीलः झालरापाटन, जिलाः झालावाड़ (राज.) पिन कोड़ः 326023

टेलीफैक्स नम्बरः 07432.242814 फोन न. 07432–242812 बेवसाइटः www.gecj.ac.in

निविदादाताओ द्वारा घोषणाः

मूल्य रू 100/– के स्टाम्प पर

मै/हम/घोषणा करता हूॅ/ करते है कि मैने/ हमने जिन कार्यो के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मै/हम द्वारा सम्बन्धि विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर व केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के नियमो / आदेशो की पालना करता हूॅ। यदि ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जाये तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है उसे रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक : **(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)**

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

ग्रामः चन्दलाई, सुनेल रोड, तहसीलः झालरापाटन, जिलाः झालावाड़ (राज.) पिन कोड़ः 326023

टेलीफैक्स नम्बरः 07432.242814 फोन नं. 07432–242812 बेवसाइटः www.gecj.ac.in

मूल्य रूपये 200/–

अनुबंध आधार पर केन्टीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्ते

1. निम्नलिखित शर्तो में संस्थान का अर्थ राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ समझा जाए एवं केन्टीन संचालन करने वाली फर्म /ठेकेदार को संस्था कहा जायेगा।
2. निविदा महाविद्यालय द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित दरों के अनुरूप ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा उचित रूप से सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में **"केन्टीन संचालन हेतु निविदा"** अंकित होना चाहिये।
4. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित **धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक** जो कि **प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़** के पक्ष मे देय होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
5. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नही की जायेगी ।
6. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ नियम 7 राजस्थान खाद्य नियम 1957 के अन्तर्गत खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रपत्र (ब) सलंग्न करना होगा इसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जायगी।
7. निविदादाता को आयकर विभाग का पेन कार्ड होना आवश्यक है । जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करनी आवश्यक होगी।
8. निविदादाता को Provident Fund (P.F.) व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. महाविद्यालय प्रशासन बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा ।
10. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है एवं जो दरें अंकित की गई है वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
11. निविदादाता द्वारा सेवाएँ उपलब्ध कराने की राशि अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये । इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिये । कटिंग अथवा संशोधन होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये । यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हों तो **"दरें नहीं अंकित करनी है"** स्पष्ट अंकित किया जाये ।
12. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 10 दिवस में सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध करानी होगीं अन्यथा प्रतिदिन रूपये 100/– दण्ड के रूप में अतिरिक्त जमा करानी होगी।
13. निविदादाता संस्था द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की हानि होती हो तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता संस्था का होगा तथा हानि की राशि को निविदादाता संस्था के द्वारा जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि से काट लिया जायेगा।

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

ग्रामः चन्दलाई, सुनेल रोड, तहसीलः झालरापाटन, जिलाः झालावाड़ (राज.) पिन कोड़ः 326023

टेलीफैक्स नम्बरः 07432.242814 फोन नं. 07432–242812 बेवसाइटः www.gecj.ac.in

14. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इसे अनुबंध का खंडन माना जावेगा एवं महाविद्यालय प्रशासन को धरोहर राशि जब्त कर उक्त करार/निविदा तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
15. धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा –
    - ➢ जब निविदादाता निविदा खोलनें के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।
    - ➢ जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर अनुबंध हस्ताक्षरित प्रस्तुत नहीं करता है ।
    - ➢ जब निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी जाती है ।
16. सफल निविदादाता द्वारा निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर करार–पत्र निष्पादन करना होगा एव जिस कार्य के लिए निविदाऐं स्वीकार की गई है 03 दिवस के अंदर उसकी प्रतिभूति की राशि भी जमा करानी होगी ।
17. सफल निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा कराई गई धरोहर राशि की प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जायेगा ।
18. प्रतिभूति राशि पर महाविद्यालय द्वारा निविदादाता संस्था को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरूद्व है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर निरस्त कर दिया जायेगा ।
20. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था/ठेकेदार) द्वारा झालावाड़ में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र नहीं ।
21. अनुबंध की शर्तो तथा किसी अन्य संबन्धित मामलों में संस्थान का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।
22. केन्टीन संचालन का प्रत्येक माह का भवन किराया/बिजली/पानी का भुगतान उसी माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ (तीन प्रतियों में) प्रतिमाह महाविद्यालय मे जमा करवाना होगा । भवन किराया/बिजली/पानी का भुगतान एकाउंट पेयी चैक निविदाता संस्था द्वारा महाविद्यालय मे जमा कराया जावेगा। यदि निश्चित दिनांक पर भवन किराया/बिजली/पानी राशि महाविद्यालय में जमा नही कराने पर प्रतिदिन रूपये 100/– दण्ड के रूप में अतिरिक्त जमा करानी होगी व भवन किराया, पानी एवं बिजली की राशि दो माह तक जमा नही कराने पर करार पत्र का उलंघन माना जायेगा व महाविद्यालय 7 दिवस का नोटिस देकर केन्टीन परिसर खाली करने का आदेश देगा व निविदिदाता संस्था को मान्य होगा व बकाया राशि धरोहर/ प्रतिभूति राशि से समायोजित कर ली जावेगी।
23. अनुबंध की शर्तो के अनुरूप यदि सेवाऐं संतोषप्रद नहीं रही तो 7 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।

24. **अनुभवः** निविदादाता संस्था को किसी भी राजकीय संस्थान या उपक्रम या शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी राजकीय क्षेत्र के संस्थान मे केन्टीन चलाने का अधिकतम अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी संलग्न करे।
25. अनुबंध की अनुमति कार्य करने की क्षमता एवं अनुभव को ध्यान में रखकर पहले तीन माह के लिये दी जायेगी जो संतोषजनक कार्य पाये जाने पर समय–समय पर प्रथम आदेश की दिनांक से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । एक वर्ष बाद अनुबंध के नवीनीकरण पर विचार सम्भव है ।
26. निविदादाता संस्था को केन्द्र व राज्य सरकार के किराया अधिनियम व श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा तथा उन नियमों की पालना के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता संस्था का होगा।
27. निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थल का उपयोग नही किया जायेगा व महाविद्यालय को उक्त परिसर/भवन को किसी भी कार्य में लेने का अधिकार सुरक्षित होगा व आवश्यकता होने पर एक माह का नोटिस देकर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा केन्टीन परिसर/भवन को खाली कराने का अधिकार होगा जिसके लिये संस्था किसी न्यायालय में वाद दायर नहीं करेगा व महाविद्यालय के आदेश की पालना करेगा। संस्था अन्तर्गत कार्य कर रहे सेवाकर्मियों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी
28. निविदादाता संस्था को ठेका मिलने के पश्चात् केन्टीन कार्य में संस्था द्वारा नियोजित व्यक्तियों की दुर्धटना बीमा (1 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) करवाकर पॉलीसी की प्रतिलिपि महाविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।
29. निविदादाता को निविदा भरने के लिए निविदादाता संस्था द्वारा खाद्य वस्तु पंजीयन, वैट पंजीयन, पेन कार्ड तथा निविदा की शर्तो के अनुरूप अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। इनके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
30. **बीमाः** निविदादाता संस्था द्वारा सामग्री रखने के स्थान एवं भोजन कक्ष में रखी गई सामग्री फर्निचर, उपकरण व भवन का बीमा करवाकर बीमें की फॉटो प्रति संस्थान को कार्य आदेश के दिनांक से 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी।
31. **निर्धारित नुकसान वस्तुः** निविदादाता संस्था द्वारा महाविद्यालय से आवंटित भवन/फर्निचर , पंखे, ट्यूबलाईट एवं अन्य उपकरणों एवं सामनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था की होगी। उक्त सामग्री की टूट–फूट एवं गायब होने की स्थिति में भरपाई संस्था द्वारा की जायेगी अन्यथा जमा धरोहर राशि /प्रस्तुत मूल क्रय मुल्य से 10 प्रतिशत अधिक राशि वसूल की जायेगी।
32. **निर्धारित नुकसान भोजन आपूर्ति** : महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ को खाद्य एवं पेय प्रदार्थ निर्धारित समय पर तथा गुणवत्तापूर्वक नहीं देने एवं देरी से देने व अवकाश रखने की स्थिति में नियमानुसार अर्थदण्ड देय होगा। प्रत्येक माह में (अ) 03 दिवस पर कुल किराया राशि का 2.5% (ब) 07 दिवस पर 5% (स) 15 दिवस पर 7.5% (द) 15 दिवस से अधिक पर 10% निर्धारित नुकसान नकद/ धरोहर/ अमानत राशि से वसूल की जावेगी।

33. महाविद्यालय की केन्टीन परिसर/फर्नीचर व उपकरण एवं भवन की साफ सफाई एव सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी। निविदादाता संस्था द्वारा कचरा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर डाला जायेगा। उक्त व्यवस्थाओं में कमी रहने पर करार पत्र का उलंघन माना जायेगा जिसके क्रम में समिति/प्रशासन द्वारा निर्धारित जुर्माना/दण्ड़ संस्था को देना होगा।

34. **केन्टीन कार्मिक** : निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन संचालन में लगाये गये कार्मिको के वेतन भत्ते बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि मेडिकल सुविधा ठेकाश्रम अधिनियम 1970–71 के नियम 25 (1) अन्तर्गत पंजियन एवं सुविधाऐ इसके अतिरिक्त श्रम विभाग में जारी नियमों उपनियमों की पालना एवं समस्त जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी । महाविद्यालय किसी भी प्रकार से वाद–ववाद के दायरे में नही आयेगा। व उपरोक्त कर्मचारी महाविद्यालय के नहीं माने जायेगें।

35. **केन्टीन कार्मिक ड्रेस एवं अन्य नियम** : निविदादाता संस्था द्वारा केन्टीन में रखे गये कार्मिको को निर्धारित ड्रेस उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्मिको की पूर्ण सूचि, बायोडाटा मय कलर फोटोग्राफ महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रत्येक केन्टीन कार्मिक को निविदादाता संस्था द्वारा पहचान पत्र मय कलर फॉटोग्राफ जारी किया जायेगा। जिसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने शर्ट/साडी/कुर्ते पर लगाना होगा। उपरोक्त ड्रेस एवं पहचान पत्र नहीं होने पर राशि रूपये 50/– प्रतिदिन निविदादाता संस्था से वसूली जायेगी। किसी भी कार्मिक को हटाने या नया कार्मिक लगाने की लिखित अनुमति महाविद्यालय प्रशासन से लेनी होगी। केन्टीन कार्मिकों के उत्तम चरित्र व व्यवहार की जिम्मेदारी निविदादाता संस्था की होगी। अन्यथा महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

36. केन्टीन की समस्त व्यवस्थाओ की मोनीटरिंग/निरिक्षण महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं इनमें त्रृटि/कमी पाई जाने पर समिति द्वारा निर्धारित जुर्माना अथवा दण्ड़ को निविदादाता संस्था द्वारा भरना होगा।

37. महाविद्यालय के केन्टीन में खाद्य एवं पेय प्रदार्थो की दरें महाविद्यालय प्रशासन से स्वीकृत करवाने के बाद ही छात्र/छात्राओं व संस्थान के स्टाफ/अतिथि को सामग्री उपलब्ध करानी होगी व सूची केन्टीन परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाई रखनी होगी। किसी भी सामग्री की दरें बढाने से पूर्व महाविद्यालय प्रशासन से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा करार पत्र का उलंघन माना जायेगा तथा द्वारा संस्था पर जुर्माना लगाया जायेगा अथवा उक्त करार/निविदा तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

38. केन्टीन में खाद्य एवं पेय प्रदार्थ बनाने की कच्ची सामग्री, ईधन व इन्हे बनाने हेतु अन्य उपकरण व सुविधाए निविदादाता संस्था को करनी होगी । कच्ची सामग्री की जांच महाविद्यालय प्रशासन एवं नियुक्त प्रतिनिधि/समिति के द्वारा कभी भी समय की जा सकेगी । कच्ची सामग्री के गुणवतापूर्ण नहीं पाये जाने पर समिति की अभिंशांक्षा कर जुर्माना/करार प्रत्र समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।

39. **चाय/नाश्ता/भोजन व्यवस्था** : पैकिंग खाद्य सामग्री की किमत MRP दर से ज्यादा नही होगी । खाद्य सामग्री केन्टीन में तैयार की जाएगी उसकी मात्रा, गुणवत्ता (खाद्य सामग्री ब्रांडेड होनी चाहिए) एवं

दर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समिति से स्वीकृत करवाना होगा। खाद्य सामग्री की सुची व दर केन्टिन परिसर में हमेशा लगाना होगा।

40. **केन्टिन किराया** : केन्टिन का न्यूनतम किराया प्रतिमाह 5300/– रूपये से अधिक किराया प्रतिमाह चुकाने वाली एवं निविदा की सभी शर्ते संतुष्ट करने वाली फर्म की निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
41. सफल निविदादाता द्वारा निविदादाता को आदेश प्राप्त होने पर 3 माह का अग्रिम भवन किराया राशि भी महाविद्यालय में जमा करवाना होगा।
42. **केन्टिन संचालन की समयावधि** : केन्टिन संचालक द्वारा महाविद्यालय में केन्टिन संचालन का कार्य प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित करना होगा। यदि केन्टिन संचालक चाहे तो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति लेकर 24 घंटे तक केन्टिन को संचालित कर सकता है।
43. निविदादाता संस्था/ठेकेदार को जिस स्थिति में भवन दिया जायेगा उसी स्थिति में टेन्डर पूरा होने / बीच में छोडने पर वापस उसी स्थिति में देना होगा।
44. दो या दो से अधिक फर्मो द्वारा समान किराया राशि प्रेषित करने पर निम्न आधार पर सफल निविदा का चयन किया जायेगा ।

    (अ) अनुभव: जिस फर्म का अधिक अनुभव हो।

    (ब) यदि फर्म का अनुभव समान है तो सफल निविदा का चयन लौटरी द्वारा किया जायेगा।

नोटः– उपरोक्त केन्टीन संचालन से संबंधित शर्ते मैने पढ ली हैं एंव यह शर्ते मुझे स्वीकार है।

दिनांक : **(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)**

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

ग्रामः चन्दलाई, सुनेल रोड, तहसीलः झालरापाटन, जिलाः झालावाड़ (राज.) पिन कोड़ः 326023

टेलीफैक्स नम्बरः 07432.242814 फोन नं. 07432–242812 बेवसाइटः www.gecj.ac.in

केन्टीन संचालन की निविदा हेतु विवरण

निविदा संख्या...................................... दिनांक ..../........../20......

क्र. सं.	उपलब्ध करवाये जाने वाली सेवा का व्यय विवरण	छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ की अनुमानित संख्या	अधिकतम किराया राशि रूपये प्रतिमाह (न्यूनतम किराया राशि 5300/– प्रतिमाह)	धरोहर राशि रू.	प्रतिभूति राशि रू.
1.	केन्टीन परिसर/भवन का मासिक किराया	1200		1300/–	3250/–

नोटः–

1. केन्टिन का न्यूनतम किराया प्रतिमाह 5300/– रूपये से अधिक किराया प्रतिमाह चुकाने वाली एवं निविदा की सभी शर्ते संतुष्ट करने वाली फर्म की निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
2. सफल निविदादाता द्वारा निविदादाता को आदेश प्राप्त होने पर 3 माह का अग्रिम भवन किराया राशि भी महाविद्यालय में जमा करवाना होगा।

दिनांक : **(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)**

स्थान :